निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
सुद्धौवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
ई मेल *dir.icds.ua@gmail.com*

उत्तराखण्ड

आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाईजर पद पर चयन हेतु अपनायी जाने वाली ऑनलाइन प्रक्रिया से संबंधित SOP

शासनादेश संख्या I/345504/XVII(4)/2025-5(28)/2011-82317 दिनांक 18 नवंबर 2025 के द्वारा सुपरवाइजर के पचास प्रतिशत पद अर्ह आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में चयन कर भरा जाना प्राविधानित किया गया है। वर्ष 2021–22 में इस हेतु प्रथम बार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिससे चयन प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक शत प्रतिशत पारदर्शिता के साथ तुलनात्मक रूप से कम समय में पूर्ण किया जा सका।

राज्य में विभागान्तर्गत कुल 20070 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं जिनमें प्रत्येक केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रूप में दो मानदेय पद सृजित हैं। इस प्रकार विभाग में कुल 40140 मानदेय कार्मिकों का कार्यबल उपलब्ध है। उक्त आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के कुशल प्रबंधन तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में से सुपरवाईजर पद पर चयन की सूची को प्रति वर्ष निर्धारित अवधि में जारी कर चयन प्रक्रिया संपन्न करने के उद्देश्य से वर्ष 2025–26 में इन सभी कार्मिकों की स्थापना संबंधी सूचनाओं के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए समस्त मानदेय कार्मिकों का डेटा विभागीय ऑनलाइन पोर्टल (वर्तमान वेब एड्रेस – https://wecdukschemes.in) पर अपलोड किया गया है।

उक्त समस्त कार्मिकों की स्थापना से संबंधित सूचनाएँ उपरोक्त पोर्टल पर अपलोड कर संरक्षित कर दी गई हैं। इस प्रकार ऑनलाइन पोर्टल https://wecdukschemes.inपर वर्तमान में कार्यरत लगभग 19500 कार्यकर्त्रियों तथा लगभग 17200 सहायिकाओं का डेटा अपलोड किया गया है । ध्यातव्य है कि उक्त मानदेय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी इस वर्ष से पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है तथा भविष्य में होने वाली नवीन भर्तियों के माध्यम से कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं द्वारा भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन के रूप में अपलोड किए गए डॉक्युमेंट्स/सूचना/डेटा संबंधित कार्मिक के स्थापना संबंधी संकलन में स्वतः ही संकलित किए जाने हेतु पोर्टल पर प्रविधान कर दिया गया है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों में से सुपरवाईजर पद पर चयन सूची जारी किए जाने की प्रक्रिया

उक्त पोर्टल के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में से सुपरवाइजर पद पर चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र के नाम से संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हेतु लॉगिन ID बनायी गई है । उक्त लॉगिन ID के पासवर्ड की सुरक्षा तथा लॉगिन ID से अपलोड किए गए अभिलेखों का समस्त उत्तरदायित्व संबंधित कार्मिक(आंगनवाड़ी कार्यकर्ती) का होगा। कार्यकर्तियों द्वारा अपलोड किया गया डेटा संबंधित कार्मिक की डिजिटल पत्रावली के रूप में संरक्षित एवं मान्य होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में से सुपरवाईजर पद पर चयन सूची जारी किए जाने की प्रक्रिया निम्न चरणों में संपन्न की जाएगी–

1. **विज्ञप्ति का प्रकाशन** – कार्यकर्तियाँ स्वयं की डिजिटल पत्रावली को वर्ष–पर्यन्त अपडेट कर सकती हैं किंतु प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय (अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह) में अर्ह आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में से सुपरवाईजर पद पर चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के संबंध में निदेशालय स्तर से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। उक्त विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि, वे समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियाँ जो

निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
सुद्धोवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
ई मेल dir.icds.ua@gmail.com

संबंधित भर्ती–वर्ष में चयन हेतु अर्ह हैं, ऑनलाइन पोर्टल (वर्तमान वेब एड्रेस – https://wecdukschemes.in) पर निर्धारित तिथि (आवेदन तिथि प्रारंभ होने के एक माह के अंदर) तक संबंधित डिजिटल पत्रावली में किए जाने वाले किसी भी परिवर्तन/updation को पूर्ण कर चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

2. विज्ञप्ति अवधि में संबंधित कार्यकर्ती द्वारा अपनी डिजिटल पत्रावली में अपडेशन/सुधार

2.1 विज्ञप्ति अवधि में अर्ह आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्वयं के अभिलेख पुनः अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी वरन् अपनी डिजिटल पत्रावली में सभी सूचनाएँ सही होने एवं अपडेटेड होने के संबंध में घोषणा पत्र अपलोड कर स्वयं की डिजिटल पत्रावली को फाइनल सबमिट किया जाना होगा।

2.2 घोषणा पत्र हेतु लिंक, मात्र अर्ह कार्यकर्तियों के लॉग–इन आई०डी० में ही प्रदर्शित होगा । किसी अर्ह कार्यकर्ती द्वारा यदि घोषणा पत्र नहीं भरा जाता है तो विज्ञप्ति द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक संबंधित कार्यकर्ती द्वारा जो भी अभिलेख अपनी डिजिटल पत्रावली में अपलोड किए गए हैं उसे ही अंतिम मानते हुए कार्यकर्ती को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

2.3 डिजिटल पत्रावली में अपडेशन/सुधार के संबंध में यह भी ध्यान देना अनिवार्य है कि यदि कोई अभिलेख कालातीत हो चुका है, जैसे कि पिछड़ा वर्ग संबंधी प्रमाण पत्र अथवा EWS प्रमाण पत्र, तो ऐसे अभिलेखों की अद्यतन प्रति अपलोड कर डिजिटल पत्रावली को अपडेट किया जाएगा।

2.4 विज्ञप्ति द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात उस वर्ष की चयन प्रक्रिया हेतु सम्मिलित किसी भी आवेदन/डिजिटल पत्रावली में कोई भी अपडेशन/सुधार, किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकेगा।

3. समस्त अर्ह आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की मेरिट सूची में से रिक्तियों की संख्यानुसार आवेदनों का परियोजना स्तर से सत्यापन

3.1 डिजिटल पत्रावली के अपडेशन/जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात निदेशालय स्तरीय लॉगिन ID में समस्त अर्ह कार्यकर्तियों की आरक्षित/अनारक्षित वर्गवार स्वतःसृजित मेरिट सूची प्राप्त होगी।

3.2 चूँकि वर्ष 2025–26 में यह प्रक्रिया पहली बार अपनायी जा रही है अतः कार्यकर्तियों द्वारा भरी गई सूचनाओं में त्रुटियों की आशंका के दृष्टिगत प्रत्येक आरक्षित/अनारक्षित वर्ग में कुल रिक्त पदों की संख्या की पांच गुना कार्यकर्तियों, जो मेरिट में सबसे ऊपर हैं, की डिजिटल पत्रावली का सत्यापन संबंधित परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक संबंधित वर्ग में निर्धारित संख्या (रिक्त पदों की पांच गुना संख्या) वाले मेरिट क्रमांक तक स्थान प्राप्त करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की सूची संबंधित बाल विकास परियोजना के लॉगिन आई०डी० में प्रदर्शित होगी जहां संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा कार्यकर्तियों के डिजिटल अभिलेखों का मिलान उनके मूल अभिलेखों से किया जाएगा तथा किसी सूचना के त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर दिये गये स्थान पर सही सूचना का अंकन

निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
सुद्धौवाला, निकट नन्दा की चौकी, चकराता रोड़ देहरादून।
ई मेल *dir.icds.ua@gmail.com*

किया जाएगा। इस प्रकार मूल अभिलेखों से मिलान का कार्य पूर्ण कर डिजिटल पत्रावली के सत्यापन संबंधी घोषणा हेतु दिये गये Tick-Box पर क्लिक किया जाना होगा।

3.3 उक्त सत्यापन प्रक्रिया में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा संबंधित कार्यकत्री की संतोषजनक सेवा के संबंध में प्रमाण–पत्र भी अपलोड किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में स्पष्ट कारणों एवं आधार सहित संबंधित प्रकरण को निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा। इस प्रकार समस्त प्रदर्शित अभ्यर्थियों की डिजिटल पत्रावली का सत्यापन पूर्ण कर सत्यापित सूची को निदेशालय स्तर हेतु अग्रसारित किया जाएगा।

3.4 प्रथम बार अपनायी गई उक्त ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पोर्टल द्वारा चयन प्रक्रिया की शुचिता का परीक्षण होने तथा पोर्टल के उपयोग में कार्यकर्तियों की कुशलता में वृद्धि होने के साथ–साथ सत्यापन हेतु निर्धारित उक्त संख्या (रिक्त पदों की पांच गुना संख्या) को शनैः–शनैः कम किया जाएगा।

4. उक्त सत्यापन कार्य हेतु निदेशालय स्तर से परियोजना स्तरीय लॉगिन आईडी पर सूची का प्रदर्शन enable किए जाने के साथ ही चयन प्रक्रिया हेतु अर्ह कार्यकर्तियों की लॉगिन ID में उनके अंकों को भी प्रदर्शित किया जाएगा तथा उपरोक्त सत्यापन हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों की सूची के कटऑफ अंक/कटऑफ जन्म तिथि भी प्रदर्शित किए जाएँगे। उक्त में किसी भी प्रकार की आपत्ति की सूचना संबंधित कार्यकर्ती द्वारा ऑनलाइन रूप से निदेशालय में दी जानी होगी तथा उसका निस्तारण भी निदेशालय स्तर से किया जायेगा।

5. उपरोक्त सूची के सत्यापित होने के पश्चात संबंधित परियोजनाओं द्वारा अग्रसारित की गई मेरिट सूची निदेशालय स्तर के लॉगिन आईडी पर प्राप्त होगी जिसके आधार पर आरक्षित/अनारक्षित वर्ग वार रिक्त पदों की कुल संख्या के सापेक्ष मेरिट में स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों को उनके डिजिटल अभिलेखों के भौतिक सत्यापन हेतु निदेशालय में आमंत्रित किया जाएगा।

6. अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के पश्चात आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाईजर पद पर चयन हेतु अनंतिम चयन सूची प्रकाशित की जायेगी। जिसके सापेक्ष अनंतिम चयन सूची के प्रकाशन के एक सप्ताह तक निदेशालय स्तर पर आपत्तियाँ आमंत्रित की जायेंगी। आपत्ति प्रेषित करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पंद्रह दिन के अंदर आपत्तियों का समाधान करते हुए अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाएगी।